

न्यायालय उपजिला कलेक्टर, टोडाभीम जिला करौली राजस्थान

मुकदमा नं० 364/2002
तारीख रजू:-6.7.2002

पीठारसीन अधिकारी- राधेश्याम मीना
आर.ए.एस.

1. कल्याण प्रसाद पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन
2. मु० द्रोपती देवा रघुवीरशरण
3. कैलाश चन्द पुत्र रघुवीरशरण जिला करौली राजस्थान
4. दीनबन्धु पुत्र रघुवीरशरण ----- वादीण

बनाम

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. रामसहाय पुत्र भौरया 2. रामजीलाल पुत्र भौरया 3. सेठी 4. शिवराम 5. राधेश्याम 6. रामसिंह पुत्र रेवडया 7. रामस्वरूप पुत्र दल्ला 8. दुण्डा पुत्र भारमल 9. मुंशी पुत्र भारमल 10. जिन्सी पुत्र दीपराम 11. रामप्रसाद पुत्र किशनलाल 12. नारायण पुत्र किशनलाल 13. जलसिंह पुत्र घीस्या 14. विजयसिंह पुत्र घीस्या 15. हरिसिंह पुत्र घीस्या 16. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली----- प्रतिवादीगण | <p>समस्त जाति मीना</p> <p>निवासी महस्वा तहसील
टोडाभीम जिला करौली</p> <p>राजस्थान</p> |
|---|--|

दावा तकास्मा एंव हुक्मईम्तनाई दवामी

उपस्थित:- 1. सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादीगण



निर्णय

दिनांक-15.04.2008

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण का दावा वास्तव तत्कारमा एवं हुकूमईमनाई दवामी विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 20.12.2002 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 7369 रकवा 14 एयर, 7370 रकवा 33 एयर, 7371 रकवा 40 एयर, 7372 रकवा 30 एयर, 7373 रकवा 25 एयर, 7374 रकवा 3 एयर, 7375 रकवा 20 एयर, 8486 रकवा 14 एयर, 8489 रकवा 25 एयर, 8490 रकवा 11 एयर, 8491 रकवा 16 एयर, 8494 रकवा 31 एयर, 8495 रकवा 10 एयर, 8496 रकवा 32 एयर, 8497 रकवा 64 एयर, 8498 रकवा 13 एयर, 8499 रकवा 15 एयर, 8524 रकवा 23 एयर, 8525 रकवा 38 एयर, 8527 रकवा 4 एयर, 8532 रकवा 5 एयर, 8533 रकवा 35 एयर, 8534 रकवा 38 एयर, 8535 रकवा 49 एयर, 8537 रकवा 40 एयर, 8538 रकवा 33 एयर, 8541 रकवा 1.00 है, 8542 रकवा 90 एयर, 8543 रकवा 70 एयर, 8544 रकवा 79 एयर, 8545 रकवा 46 एयर, 8536 रकवा 51 एयर, 8445 रकवा 70 एयर, 8446 रकवा 20 एयर, 8468 रकवा 8 एयर, 8469 रकवा 29 एयर, 8470 रकवा 20 एयर, 8471 रकवा 29 एयर, 8472 रकवा 21 एयर, 8509 रकवा 6 एयर, 8510 रकवा 2 एयर, 8511 रकवा 12 एयर, 8512 रकवा 25 एयर, 8513 रकवा 21 एयर, 8514 रकवा 2 एयर, 8515 रकवा 20 एयर, 8516 रकवा 16 एयर, 8517 रकवा 4 एयर, 8518 रकवा 38 एयर, 8519 रकवा 50 एयर, 8520 रकवा 68 एयर, 8521 रकवा 25 एयर, 8522 रकवा 14 एयर, 8523 रकवा 5 एयर, 8526 रकवा 4 एयर, 8528 रकवा 36 एयर, 8529 रकवा 65 एयर, 8530 रकवा 50 एयर, 8531 रकवा 44 एयर, 8539 रकवा 36 एयर, 8540 रकवा 21 एयर, 7544 रकवा 29 एयर, 8384 रकवा 15 एयर, 8385 रकवा 89 एयर, 8442 रकवा 65 एयर, 8443 रकवा 9 एयर, 8444 रकवा 26 एयर कुल किता 67 कुल रकवा 20.48 है। जमाबन्दी सं02052 आधार वर्ष खाता संख्या 815 में दर्ज हिस्सानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा करने के आदेश दिये गये थे। जिसकी पालना करने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को प्राथमिक डिक्री की प्रति पालनार्थ भेजी गई थी।

उक्त प्रकरण वास्ते बंटवारा स्कीम प्राप्त होने हेतु दिनांक 20.12.2002 से विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार टोडाभीम




को बंटवारा स्कीम पेश करने हेतु कई बार लिखित व मौखिक रूप से तहसीलदार टोडाभीम को निर्देशित किया गया है। तथा तहसीलदार टोडाभीम ने पत्रांक भू-अ0/540 दिनांक 07.03.2008 को भेजकर अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में भू-अभिलेख निरीक्षक को बंटवारा स्कीम तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित किया गया जिसमें भू-अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट कर अवगत कराया है कि वादी(पार्टी) ग्राम महस्वा में नहीं रहती है। तथा ना ही उसका कोई भूमि पर कब्जा काश्त है तथा ना ही ये व्यक्ति मौके पर आते हैं। ऐसी स्थिति में बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं01 वाद पत्र पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। मात्र खातेदारी अधिकार है। वादीगण की सहखातेदारी की आराजीयात पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया जाना प्रतीत होता है। तथा वादीगण ने उक्त प्रकरण में बेदखली की रिलीफ नहीं चाही गई है। इसलिए वादीगण कब्जे के अभाव में बंटवारा की रिलीफ भी प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसे हालात में वादीगण का दावा वावत तकास्मा एवं हुक्मईम्तनाई दवामी विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज योग्य है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वावत तकास्मा आराजीयात एवं हुक्मईम्तनाई दवामी आराजी खसरा नम्बर 7369 रकवा 14 एयर, 7370 रकवा 33 एयर, 7371 रकवा 40 एयर, 7372 रकवा 30 एयर, 7373 रकवा 25 एयर, 7374 रकवा 3 एयर, 7375 रकवा 20 एयर, 8486 रकवा 14 एयर, 8489 रकवा 25 एयर, 8490 रकवा 11 एयर, 8491 रकवा 16 एयर, 8494 रकवा 31 एयर, 8495 रकवा 10 एयर, 8496 रकवा 32 एयर, 8497 रकवा 64 एयर, 8498 रकवा 13 एयर, 8499 रकवा 15 एयर, 8524 रकवा 23 एयर, 8525 रकवा 38 एयर, 8527 रकवा 4 एयर, 8532 रकवा 5 एयर, 8533 रकवा 35 एयर, 8534 रकवा 38 एयर, 8535 रकवा 49 एयर, 8537 रकवा 40 एयर, 8538 रकवा 33 एयर, 8541 रकवा 1.00 है0, 8542 रकवा 90 एयर, 8543 रकवा 70 एयर, 8544 रकवा 79 एयर, 8545 रकवा 46 एयर, 8536 रकवा 51 एयर, 8445 रकवा 70 एयर, 8446 रकवा 20 एयर, 8468 रकवा 8 एयर, 8469 रकवा 29 एयर, 8470 रकवा 20 एयर, 8471 रकवा 29 एयर, 8472 रकवा 21 एयर, 8509 रकवा 6 एयर, 8510 रकवा 2 एयर, 8511 रकवा 12 एयर, 8512

रकवा 25 एयर, 8513 रकवा 21 एयर, 8514 रकवा 2 एयर, 8515
 रकवा 20 एयर, 8516 रकवा 16 एयर, 8517 रकवा 4 एयर, 8518
 रकवा 38 एयर, 8519 रकवा 50 एयर, 8520 रकवा 68 एयर, 8521
 रकवा 25 एयर, 8522 रकवा 14 एयर, 8523 रकवा 5 एयर, 8526
 रकवा 4 एयर, 8528 रकवा 36 एयर, 8529 रकवा 65 एयर, 8530
 रकवा 50 एयर, 8531 रकवा 44 एयर, 8539 रकवा 36 एयर, 8540
 रकवा 21 एयर, 7544 रकवा 29 एयर, 8384 रकवा 15 एयर, 8385
 रकवा 89 एयर, 8442 रकवा 65 एयर, 8443 रकवा 9 एयर, 8444
 रकवा 26 एयर कुल किता 67 कुल रकवा 20.48 है 0 ग्राम महस्वा
 तहसील टोडाभीम खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री
 जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकभील नम्बर से कम
 की जाकर दाखिल दप्फतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2008 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 उपजिला कलेक्टर,
 टोडाभीम(करौली)